न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर
निगरानी सं0 03/2017 नगरपालिका अधिनियम अन्तर्गत धारा–73(2)
अनुवान बदरुदीन पुत्र कमरुदीन जाति नागरा निवासी वार्ड सं0 10 कस्बा राजगढ तहसील राजगढ जिला चूरु ।
बनाम
अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका राजगढ जिला चूरु एवम् अनिता, कृष्ण कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषीयन्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.7.19	आज यह पत्रावली प्रार्थी अभिभाषक श्री अरुण जोशी के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गयी । अभिभाषक प्रार्थी ने हमारे समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, जिसके कारण प्रार्थी बदरुदीन उक्त निगरानी प्रकरण को अप्रार्थीगण के खिलाफ आगे नहीं चलाना चाहता है तथा प्रस्तुत निगरनी को वापिस लेना चाहता है । अतः निगरानी प्रकरण को विड्रा करने की अनुमति प्रदान करें । हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् पत्रावली का अवलोकन किया । प्रस्तुत निगरानी अनुसार यह निगरानी नगरपालिका राजगढ द्वारा स्टेशन रोड़ राजगढ स्थित खांचा भूमि का पट्टा दिनांक 16.3.73 निरस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थी अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत होकर इस न्यायालाय में विचाराधीन है । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी बदरुदीन इस निगरानी को आगे नहीं चालाना चाहता है एवं विड्रा करना चाहता है । अतः यह निगरानी प्रार्थी जरिये विड्रावल इसी स्तर पर खारिज की जाती है । आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो । निगरानी नम्बर से कम होकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश सुनाया गया । सम्भागीय आयुक्त बीकानेर	